किसानों को फसल बीमा योजना के फायदे बता रही सरकार

नई दिल्ली (भाषा)। केन्द्र सरकार 583 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) पर किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के बारे में जागरूकता पैदा करने के संदर्भ में लोस प्रवास कर रही है।

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि अभी तक गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों की भागीदारी के साथ लखनऊ जैसे 90 स्थानों पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विवरण किसानों को दिए जाते हैं, प्रश्नोत्तर सत्र किये जाते हैं और स्कीम के बारे में एक फिल्म वाले 'कम्पैक्ट डिस्क' (सीडी) किसानों को दिखाई जाती है।

इसमें कहा गया है कि किसानों को अन्य कृषि योजनाओं के बारे में भी सूचित किया जाता है। किसानों और वैज्ञानिकों की बातचीत में अन्य फसलों, बागवानी, पशुपालन और फेल्ट्री संबंधित प्रश्नों के बारे में ज्ञान और परामर्श भी वैज्ञानिकों की ओर से दिए जाते हैं। केवीके के तहत खेती करने वाले किसानों और खेत के स्तर पर कृषि गतिविधियों में संलग्न अन्य लोगों को को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं।

मानसून के प्रकोप से किसानों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार नयी फसल बीमा योजना लेकर सामने आई है जो खरीफ फसल के लिए एक अप्रैल से लागू हो गई है। योजना के तहत खाद्यान्नों और तिलहन फसलों के लिए किसानों के प्रीमियम को 1.5 से दो प्रतिशत के बीच रखा गया है तथा बागवानी और कपास फसल के लिए पांच प्रतिशत तक रखा गया है।

- 583 कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिये किसानों को किया जा रहा है जागरूक
- गांव गांव में आयोजित किए जा रहे हैं प्रश्नोत्तर सत्र
- कर्ज जरूरी है फसल बीमा, सीडी के जरिये बता रही सरकार

दिनांक 05/04/2016
राष्ट्रीय सहारा
पृष्ठ संख्या - 12